न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज.

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बबल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 08/18 दायरा दिनांक 24.08.2018

चिन्जोबाई पुत्री किशनलाल उम्र 61 वर्ष जाति किराड निवासी ग्राम जखोनी हाल निवासी अजरोंडा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

– प्रार्थीया

–: बनाम :–

1. भगवानलाल पुत्र बृजलाल उम्र 55 वर्ष जाति किराड निवासी ग्राम जखोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. हेमराज पुत्र भगवानलाल उम्र 25 वर्ष जाति किराड निवासी ग्राम जखोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

– अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय–दिनांक 07.01.2020

उपस्थित– 1. श्री प्रकाशचन्द नामदेव अभिभाषक (प्रार्थीया)
2. श्री हेमराज नामदेव अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम जखोनी पटवार क्षेत्र जखोनी तहसील शाहाबाद में प्रार्थिया के खाते तथा कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 108/488 रकबा 5.06 वीघा स्थित है. प्रार्थिया के कोई सगा भाई नहीं है, इस कारण अप्रार्थीगण उक्त भूमि से प्रार्थिया को बेदखल कर कब्जा करना चाहते हैं. प्रार्थिया कुटुम्ब में अप्रार्थीकम–1 की बुआ लगती है, अप्रार्थीगण धनाड्य व ताकतवर है, जो ऐन–केन प्रकारेण प्रार्थिया के खाते की उक्त भूमि पर अवैधानिक कब्जा करने को तथा बंदखल करने को आमादा है। दिनांक 09.08.2018 को दिन के लगभग 11 बजे अप्रार्थीगण प्रार्थिया के खेत पर आये और कहने लगे कि तू इस आराजी को छोड, यदि तू खेत पर आई तो तेरा पता नहीं चलेगा। अप्रार्थीगण ने धमकी दी है कि हम इस आराजी पर कब्जा करके रहेंगे। चाहे परिणाम कुछ भी हो। अप्रार्थीगण के उक्त दृष्कृत्य एवं दुस्साहस से प्रार्थिया के हक हकूक एवं मालिकाना तथा फसल को भारी खतरा पैदा हो गया है। लिहाजा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद पावन्द किया जाना नितान्त एवं परमावश्यक है, यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किया गया तो वे फसल सोयाबीन नष्ट कर देंगे, आराजी से प्रार्थिया को बेदखल कर देंगे तथा जबरन कब्जा कर लेंगे, जिससे प्रार्थिया को अपूर्तनीय क्षति होगी। इत्यादि।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थनापत्र की मद नम्बर–2 में प्रार्थिया के खाते की आराजी खसरा नम्बर 108/488 रकवा 5.06 बीघा का स्थित होना तथा उस पर प्रर्थिया का काश्त करना अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र की मद नम्बर–3 असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थिया का यह कथन नितान्त असत्य तथा मनगढन्त है कि अप्रार्थीगण मिलकर प्रार्थिया की उक्त भूमि पर कब्जा करने को आमादा हों तथा प्रार्थिया के कब्जे काश्त में बाधा डाल रहे हों। प्रार्थनापत्र की मद नम्बर–4 अस्वीकार है। दिनांक 09/08/18 को अथवा किसी भी दिन विवादित भूमि पर अथवा कहीं भी अप्रार्थीगण की प्रार्थिया से कोई भी बात नहीं हुई। सत्यता यह है कि अप्रार्थीगण अपने पारिवारिक सहखाते की आराजी खसरा नम्बर 237 रकवा 8.17 बीघा व खसरा नम्बर 108/490 रकवा 1.11 बीघा पर अपने बुजुर्गो के समय से बहैसियत खातेदार मालिक निरन्तर अपने पूर्वजों के

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

समय से ही काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं, अप्रार्थीगण के खेत के पूरब में–शंकरलाल शिवनारायण वगैरा का खेत, पश्चिम में– हजारीलाल किराड का खेत, उत्तर में– रघुवीर राधेश्याम का खेत तथा दक्षिण में सिवायचक भूमि है, प्रमाण स्वरूप नकल नक्शा ट्रेस व पडौसी खातेदारान की जमाबन्दीयां पेश है, जिसमें प्रार्थिया को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। वास्तविकता यह है कि गत वर्ष जेठ के महीने में एक दिन प्रार्थिया के पुत्र प्रेमनारायण ने अप्रार्थीक्रम–1 को फोन किया कि हमारी विवादित भूमि हल्का पटवारी ने तुम्हारे खेत में बतलाई है, इस कारण हम तुम्हारे खेत पर कब्जा करेंगे। प्रार्थिया की विवादित आराजी कहां पर है, उसे खुद नहीं पता और ना ही प्रार्थिया ने कभी काश्त की है। प्रार्थिया इस मिथ्या प्रार्थनापत्र की आढ में अप्रार्थीक्रम–1 के पारिवारिक सहखाते की आराजी खसरा नम्बर 237 रकवा 8.17 बीघा व खसरा नम्बर 108/490 रकवा 1.11 बीघा पर काबिज होना चाहती है, जिसका प्रार्थिया को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थनापत्र की मद नम्बर–5 अस्वीकार है। वादीनी का विवादित आराजी पर आज तक कभी कोई कब्जा नहीं है, ना ही काश्त की है, यहां तक कि प्रार्थिया को विवादित भूमि कहां है, यह भी पता नहीं है। कब्जा काश्त बावत कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, इस कारण कब्जे के अभाव में प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र चलने योग्य ही नहीं है। यदि प्रार्थिया के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई तो वह इसकी आढ में अप्रार्थीगण के पुश्तैनी खाते की आराजी खसरा नम्बर 237 रकवा 8.17 बीघा व खसरा नम्बर 108/490 रकवा 1.11 बीघा कब्जे काश्त में दखलन्दाजी पैदा करेगी। जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इस कारण प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र अस्वीकृत कर सव्यय खारिज फरमाये जाने कि कृपा करें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से पूर्व न्यायालय को प्रथमदृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति इन बिन्दुओं को देखना है। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी ग्राम जखोनी सम्वत 2073–76 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 108/488 रकबा 5.06 बीघा प्रार्थिया के खाते की है, परन्तु उक्त भूमि पर प्रार्थिया ने अपना कब्जाकाश्त होना बावत किसी भी प्रकार की कोई दस्तावेजी अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अप्रार्थीगण द्वारा भी प्रार्थिया की उक्त भूमि पर अपना कब्जा काश्त होने से इन्कार किया है। प्रार्थिया एवं अप्रार्थीगण के मध्य प्रथमदृष्ट्या सीमा विवाद होना प्रतीत होता है, जिसका निस्तारण मूल वाद में उभयपक्ष की साक्ष्य लिये जाने के पश्चात किया जाना न्यायोचित होगा। परन्तु तब तक अन्य कोई विवाद पैदा नहीं हो, इस कारण मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी की मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे मूल वाद के अन्तिम रूप से निस्तारण होने तक वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर रकबा 10.13 बीघा ग्राम बालदा पटवार हल्का बालदा तहसील 108/488 रकबा 5.06 बीघा ग्राम जखोनी तहसील शाहाबाद बावत मौके की यथास्थिति कायम रखेंगे। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद शाहाबाद (राज.)

Scanned by CamScanner